



# उपायुक्त / जिलाधीश कार्यालय, रेवाड़ी

DEPUTY COMMISSIONER/DISTRICT MAGISTRATE OFFICE, REWARI

अतिआवश्यक / आज ही।

प्रेषक

उपायुक्त, रेवाड़ी।

सेवा में,

1. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, कौनसीवास, जिला रेवाड़ी।
2. प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, भांकली, जिला रेवाड़ी।
3. प्रधानाचार्य, डाईट, हुसैनपुर, जिला रेवाड़ी।

यादी क्रमांक 3952-59 / एम.ए. दिनांक 21.03.2020


विषय:- आदेश धारा-144 की पालना रिपोर्ट भेजने बारे।

-:-

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में।

जैसा कि विदित है कि जिला रेवाड़ी में कोरोना वायरस (nCOVID-19) के संक्रमण से उत्पन्न महामारी के फैलाव को रोकने के लिए हॉस्टल चालू रखने पर धारा-144 के तहत आदेश द्वारा रोक लगाई हुई है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आप इस कार्यालय को अवगत करवाएं कि जारी धारा-144 आदेश की पालना की जा रही है अथवा नहीं। रिपोर्ट इस कार्यालय की ई-मेल आईडी dcrwr@hry.nic.in पर लौटती डाक द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करें।

  
नगराधीश,  
कृते: उपायुक्त, रेवाड़ी।